



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accredited with 'A' Grade by NAAC



डॉ. धरवेश कठेरिया
Dr. Dharvesh Katheriya
कुलानुशासक
Proctor

दूरभाष / Phone : +07152-251878

011/ 2018-19/सामान्य पत्राचार/1473
दिनांक : 01.12.2023

सूचना

विधि विभाग के (प्रथम, तृतीय एवं पंचम छमाही) के समस्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रलंबित कार्य का निपटारा आगामी 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। जिससे वर्तमान में उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस निर्णय के आधार पर विधि विभाग के सभी विद्यार्थियों को 03 दिनों के भीतर (सोमवार दिनांक 03 दिसंबर 2023 तक) छात्रावास खाली करना होगा तथा 45 दिनों बाद विधि विभाग के समस्त विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं संचालित की जाएगी। समस्त विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह निर्णय उनके बेहतर भविष्य एवं उनको हो रही समस्याओं के समाधान के लिये लिया गया है। इन 45 दिनों में विश्वविद्यालय द्वारा विधि विभाग के विद्यार्थियों को हो रही परेशानियों का उचित समाधान किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थियों की अकादमिक क्षति नहीं होगी।


(कुलानुशासक)

प्रतिलिपि:

- 1) कुलपति कार्यालय म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- 2) कुलसचिव, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- 3) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- 4) अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- 5) अध्यक्ष, विधि विद्यापीठ, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- 6) मुख्य छात्रावास अधीक्षक, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- 7) सभी छात्रावास अधीक्षक म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
- 8) प्रभारी, लीला विभाग (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।)
- 9) रक्षित पत्रावली